सँख्या : 395 /XXIV-3/2005

प्रेषक

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 13 दिसम्बर,2005

विषयः राजकीय इण्टर कालेज जाजल, टिहरी के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन–4/43319/जीर्ण–क्षीर्ण/भवनहीन/2005–06 दिनॉक 28–11–2005 के संदर्भ एवं शासनादेश संख्याः 120/XXIV-2/2005 दिनॉक 11–7–2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजकीय इण्टर कालेज जाजल, टिहरी के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 233.34 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 164.67 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 68.67 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में रू0 18.67 लाख (रूपये अठारह लाख सडसठ हजार मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्याः 630/ XXIV-2/2005 दिनॉक 29–4–2005 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 822.24 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)— एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5)— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6)— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली—भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7)— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखा शीर्षक— 4202—शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय—01—सामान्य शिक्षा—202—माध्यमिक शिक्षा— आयोजनागत — 00— 11— राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण — 24— वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 312/वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग—3/2005 दिनाँक 8—12—2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

सँख्याः 395 (1)/XXIV-3/2005 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,उत्तराँचल, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल— पौड़ी।
5— अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल—पौड़ी।
6— जिलाधिकारी, टिहरी।
7— कोषाधिकारी, टिहरी।
8— जिला शिक्षा अधिकारी टिहरी।
9— वित्त अनुभाग—3 /नियोजन प्रकोष्ठ।
10— बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
11— संबंधित निर्माण एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम।
12— कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
13— एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव